FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0159 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/06/2026 16:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 24/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/06/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/06/2026 16:13:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 06 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALAY APAR AAYKAR AYUKT RAINJ-7-1, VIDHANSABHA KE PICHHE JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AFROJ

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HAMID KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	153/35, KHANIYA BANDHA GONER ROAD, TRANSPORT NAGAR JAIPUR, TRANSPORT NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	153/35, KHANIYA BANDHA GONER ROAD, TRANSPORT NAGAR JAIPUR, TRANSPORT NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LAKHAN SINGH JOGI		पिता:PREMRAJ JOGI	1. BADLERA KHURD,TODABHIM,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 24.04.2026 को परिवादी श्री अफरोज ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू प्रथम भ्रनिब्यूरो जयपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि " मैं प्रार्थी अफरोज पुत्र श्री हमीद खांन, जाति मुसलमान, निवासी मकान नं. 153/35, खानिया बंधा गोनेर रोड पुलिस थाना ट्रासंपोर्ट नगर जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं न्यू इण्डियन बेकरी स्टोर मोहमदी हॉस्पिटल तोपखाना पहाडगंज मिठी कोठी में करीब 12 साल से किराये पर संचालित करता। मेरे आधार कार्ड एवं मेरे पैनकार्ड नं. है। मेरा खाता कोटक महेन्द्रा बैंक शाखा बनीपार्क व एस.बी.आई बैंक खाता में उक्त पैन नम्बर लिंक है। मुझे 4-5 महिने पहले जानकारी में आया कि मेरे द्वारा कोई आवेदन करने पर बैक के.वाई.सी. नहीं हो रही थी मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर मेरा पैनकार्ड मेरे बैंक खाता से कनेक्ट नहीं था क्योंकि मेरे द्वारा न्यू पैनकार्ड पर एप्लाई होने पर मेरे दो पैनकार्ड बन गये थे तथा पूर्व के पैनकार्ड लिंक से हट गये थे। मेरे द्वारा आयकर आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2025 को पेस किया जाने पर उनके द्वारा वार्ड 7(1) को मेरा पा्रर्थना पत्र ट्रासंफर किया गया। मैं वार्ड 7(1) में जाकर मिला तो मेरे से श्री लखन सिंह मोबाईल नं.
मिला जिसने मेरे से उक्त कार्य के लिए 4400/-रूपये मालवीय नगर में प्राप्त किये थे तथा मेरे से शपथ पत्र लिया गया था कि आपका पुराना वाला पैनकार्ड शुरू कर देगे। मेरा कार्य वार्ड 7(1) में पेण्डिग है श्री लखन सिंह मेरे से 1000/-रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मेरे द्वारा 4400 पहले रूपये दिये गये है तीन चार दिन हुये है। मैं श्री लाखन सिंह व उसके किसी आदमी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅ मेरी श्री लखन सिंह से कोई रंजिश नहीं है न ही कोई उधार का कोई शेष है रिपोर्ट करता हूँ कानूनी कार्यवाही करे। प्रार्थी एसडी अफरोज,मोबाईल नम्बर
दिनांक 24.04.2026 इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू प्रथम जयपुर ने मन् निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में बुलाया जहां पर एक व्यक्ति उनके सामने बैठे हुआ था। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्तिं को परिचय कराते हुऐ परिवादी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें का पृष्ठांकन कर परिवादी का प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी व उसका प्रार्थना पत्र को मेरे साथ मेरे कार्यालय कक्ष में लेकर आयी व परिवादी का नाम पता पूछा तो परिवादी ने अपना नाम श्री अफरोज़ पुत्र श्री हमीद जाति मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी खानिया बंधा गोनेर रोड गरीब नवाज मस्जिद के पास में जयपुर मूल निवासी खांनिया बंधा गोनेर रोड पट्टी वाली गली में 153/35 जयपुर होना बताया। परिवादी के प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाने पर परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्यों का सही होना स्वीकार किया व दरियाफ्त करने पर प्रार्थना पत्र मं अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपनी जानकारी होना व सही होना स्वीकार किया गया। परिवादी को प्रार्थना पत्र के बारे मे पूछा तो उक्त प्रार्थना पत्र अपने मित्र से लिखवाकर लाना बताया एवं स्वयं द्वारा हस्तलिखित नहीं होना बताया गया। परिवादी से दरियाफ्त की जाने पर बताया कि मेरे गलती से दो पैनकार्ड जारी हो गये थे जिससे मेरे बैंक खातो की कैवाईसी नहीं हो पा रही थी। जिसका प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिनांक 30.12.2025 को आयकर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर मेरा प्रार्थना पत्र आयकर चिभाग वार्ड 7(1) में ट्रासंफर किया जाने पर मैं वहां जाकर मिला तो मेरे से लखन सिंह नाम के व्यक्ति ने मेरा पुराने वाला पैनकार्ड चालू करने के लिए 4400/-रूपये मेरे से तीन-चार दिन पहले प्राप्त किये थे अब ओर 1000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं लखन सिंह आयकर विभाग के कर्मचारी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से कार्यालय से एक SONY कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर उसमें Daichi कम्पनी का 32 GB क्षमता का नया माईक्रो एस.डी. कार्ड लगवाया जाकर उपस्थित परिवादी श्री अफरोज खान पुत्र श्री हमीद खान जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, पेशा बेकरी का व्यवसाय निवासी मकान नम्बर 153/35, खानिया बन्धा, गोनेर रोड, पट्टी वाली गली, जयपुर पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर आयुक्तालय जयपुर को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि नियमानुसार समझाई गयी। कार्यालय पर पदस्थापित श्री यशपाल कानि. नम्बर 191 को तलब किया गया परिवादी श्री अफरोज से आपस में परिचय करवाया जाकर कार्यालय का उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने के लिये सुपुर्द करने के लिये श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश दिये गये कि परिवादी श्री अफरोज के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु एसओ

के पास रवाना करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी श्री अफरोज को सुपुर्द कर रवाना करे तथा परिवादी के आसपास रहकर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को गोपनीयता बरतते हुये, सुनने का प्रयास करें तथा संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिष्वत मांग किये जाने सम्बन्धी आपस में होने वाली वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड होने के पष्चात् मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश करे। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द सुपुर्दगी कार्यालय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर SONYकम्पनी जिसमें Daichi कम्पनी का 32GB क्षमता का माईक्रो एस.डी. कार्ड लगा हुआ शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी श्री अफरोज के साथ श्री यशपाल कानि. को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाने के लिये समय 5.15 पीएम पर रवाना किया गया। समय 6.15 पीएम पर श्री यशपाल कानि. के साथ एसीबी परिवादी श्री अफरोज उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। श्री यशपाल कानि.ने बताया कि परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल पर कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज-7, लालकोठी जयपुर , विधान सभा जयपुर के पीछे से कुछ पहले परिवादी की मोटरसाईकिल को रोककर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया एवं मैं अपनी उपस्थिति छुपाये हुये उक्त कार्यालय के बाहर खडा रहा कुछ समय पश्चात एसीबी परिवादी वापस मेरे पास आया व मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना बताया गया जिसको मैने बंद कर अपने पास दुरूस्त रखा गया तत्पश्चात परिवादी को साथ लेकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आना बताया गया। उपस्थित परिवादी श्री अफरोज ने श्री यशपाल कानि. की बातो की ताईद करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि कार्यालय से मेरी मोटरसाईकिल पर यशपाल कानि. को लेकर कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज-7, लालकोठी जयपुर , विधान सभा जयपुर के पीछे से कुछ पहले मेरी मोटरसाईकिल रूकवाकर श्री यशपाल कानि. ने मुझे टेप रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया एवं वह अपनी उपस्थिति छुपाये हुये उक्त कार्यालय के बाहर खडे हो गये। मैं कार्यालय में 7(1) के ऑफिस में पहुॅचा जहॉ पर मेरी आगन्तुक रजिस्टर में एन्ट्री नही की गयी मै सीधा उपर जाकर श्री लाखन सिंह, कर सहायक से मिला तो उन्होने मुझ से कहॉ कि जल्दी पैसे दे मेरे पास टाईम नही है तथा मेरा मोबाईल फोन लेकर फोन पे से 1500/- रूपये की राशि भरकर ट्रांसफर करने की जिद कर कोड पूछने पर मेरे द्वारा कोड/पासवर्ड बताये गये लेकिन आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की जिद की जाने पर एवं आज ही रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये अडिग रहने पर मेरे से 600/- रूपये की रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त की जाकर मेरे लम्बित कार्य के सम्बन्ध में श्री पूरणमल रेगर आईटीओ वार्ड 7(1) जयपुर के हस्ताक्षर से जारी पत्र ITBA/PAN/F/996/2026-27/1088611829 (1) दिनांक 23.04.2026 से जारी आदेश मुझे सुपुर्द किया गया जिसमे एक पैन कार्ड BNTPAC5528C का उपयोग किये जाने का उल्लेख है। इसके पश्चात टेप रिकॉर्डर में सभी बाते रिकॉर्ड कर मैं बाहर आ गया तथा टेप रिकॉर्डर श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द किया था। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को श्री यशपाल कानि. ने बन्द किया था। परिवादी द्वारा संदिग्ध एसओ श्री लखन सिंह द्वारा दिया गया श्री पूरणमल रेगर आईटीओ वार्ड 7(1) जयपुर के हस्ताक्षर से जारी पत्र ITBA/PAN/F/996/2026-27/1088611829 (1) दिनांक 23.04.2026 मूल आदेश प्रस्तुत किया गया जो शामिल कार्यवाही किया गया। श्री अफरोज ने बताया कि मेरे से श्री लाखन सिंह, कर सहायक ने कुल 5000/-रूपये मेरे पैन कार्ड के पेटे प्राप्त कर लिये है। मेरा अब कोई काम श्री लाखन सिंह, कर सहायक के पास पैण्डिग नही है। श्री यशपाल कानि. से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना तो परिवादी की कही हुयी बातो की पुष्ठि हुयी। एसीबी परिवादी ने बताया कि मेरे 4-5 दिन काम है उसके पश्चात मै आपके पास आ जाउंगा। एसीबी परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रूखस्त किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में दुरूस्त रखा गया। ट्रेप कार्यवाही का परिवादी श्री अफरोज उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर मन् अनुसंधान अधिकारी को बताया कि मेरा काम दिनांक 24.04.2026 को ही श्री लाखन सिंह, कर सहायक द्वारा पूर्ण कर दिया गया था तथा मुझे लेटर दे दिया था। मेरे से श्री लाखन सिंह,कर सहायक कार्यालय अपर आयकर, आयुक्त रेंज-7, विधान सभा के पीछे जयपुर अब मेरे से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा। परिवादी श्री अफरोज व संदिग्ध लोकसेवक श्री लाखन सिंह के मध्य दिनांक 24.04.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आमने सामने हुयी वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी स्वतंत्र गवाह के समक्ष फर्द अनुलिपी बनायी जाना आवश्यक है। इस पर पूर्व में ब्यूरो मुख्यालय में पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह को जरिये दूरभाष तलब किया गया। ट्रेप कार्यवाही ---दिनांक 30.04.2026 को स्वतंत्र गवाह उपस्थित ब्यूरो आये जिनमे से एक का नाम पूछने पर एक ने अपना नाम श्री चेतन प्रकाश विजय पुत्र श्री रामेश्वर विजय जाति महाजन, उम्र 57 वर्ष, पेशा नोकरी निवासी मकान नम्बर बी 104, सेठी कॉलोनी जयपुर ,पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर हाल सहायक प्रबन्धक द्वितीय , राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, मुख्यालय जयपुर । मोबाईल नम्बर- व दूसरे ने अपना नाम श्री कालुराम खटीक पुत्र श्री शंकरलाल खटीक जाति खटीक, उम्र 36 वर्ष ,पेशा नौकरी निवासी गांव पृथ्वीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर , पुलिस थाना तुंगा जिला जयपुर हाल फायरमैन , कार्यालय सहायक अग्निशमन अधिकारी बाईस गौदाम जयपुर मोबाईल नम्बर होना बताया गया। इसके पश्चात उपस्थित परिवादी श्री अफरोज का उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री चेतन प्रकाश विजय व श्री कालुराम खटीक का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र दिखाया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में बताया जाकर गवाह बनने एवं की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाने पर दोनों गवाह ने

पृथक-पृथक मौखिक रूप से गवाह बनने की सहमति प्रदान की गयी। इसके पश्चात दोनो गवाह के परिवादी श्री अफरोज के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2026 पर हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थित परिवादी श्री अफरोज का उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री चेतन प्रकाश विजय व श्री कालुराम खटीक का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र दिखाया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में बताया जाकर गवाह बनने एवं की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाने पर दोनों गवाह ने पृथक-पृथक मौखिक रूप से गवाह बनने की सहमति प्रदान की गयी। इसके पश्चात दोनो गवाह के परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 30.04.2026 को परिवादी श्री अफरोज व संदिग्ध आरोपी लाखन सिंह,कर सहायक (TA) कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज -7, विधान सभा के पीछे जयपुर के मध्य दिनांक 24.04.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आमने सामने हुई वार्ता डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी की फर्द अनुलिपी बनायी जाने के लिये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मेरी निगरानी एवं मेरे कब्जे मे रखे हुये को कार्यालय की अलमारी से निकालकर कार्यालय हाजा के लैपटॉप से जोडकर सुना गया एवं स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को सुनाया गया तथा निम्नानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्शन परिवादी से पूछ-पूछकर तैयार करना शुरू की गयी उक्त रूपान्तरण वार्ता में परिवादी द्वारा एक वार्ता स्वयं व दूसरी आवाज संदिग्ध आरोपी लखन सिंह की होने की पहचान की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी ने उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता के मेमोरी कार्ड तैयार करने के लिये कार्यालय से 04 नये माईक्रो एसडी कार्ड Daichi 32GB मंगवाये जाकर उनको बारी-बारी से खाली होना सुनिश्चित किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे हुये मूल माईक्रो एसडी कार्ड Daichi 32GB को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर कार्यालय के कार्ड रीडर की सहायता से मूल माईकाे्रे एसडी कार्ड Daichi 32GB को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर लैपटॉप मे बिना छेडछाड/कांटछाट व सुरिक्षत हालात में लैपटॉप में एक फोल्डर बनाकर कॉपी/पेस्ट कर संरक्षित किया गया। इसके पश्चात लैपटॉप की सहायता से उक्त मूल मेमोरी कार्ड की वार्ता की कॉपी कर बारी बारी से 04 नये माईक्रो एसडी कार्ड Daichi 32GB में कॉपी/पेस्ट कर तैयार किये गये। उक्त मूल मेमोरी कार्ड Daichi 32GB को कागज के कवर मे रखकर कागज पर मार्क एस डी अंकित कर कागज के कवर सहित एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्क एसडी अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार अन्य माईकाे्रे एसडी कार्ड Daichi 32GB क्रमशः एसडी-1(न्यायालय प्रति),एसडी-2,(मालखाना प्रति)एसडी-3 (आरोपी प्रति) को अलग-अलग कागज के कवर मे रखकर कागज पर मार्क एस डी-1,एस डी-2,एस डी-3 अंकित कर कागज के कवर सहित अलग-अलग सफेद कपडे की थैलीयो मे रखकर शील्ड मोहर कर एस डी-1,एस डी-2,एस डी-3 अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। माईक्रो एसडी कार्ड-4 अनुसंधान/जॉच अधिकारी के लिये खुला रखा गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द ट्रांस्क्रिप्शन रिष्वत मांग सत्यापन आमने सामने वार्ता दिनाक 24.04.2026 को परिवादी श्री अफरोज व संदिग्ध आरोपी लाखन सिंह,कर सहायक (TA) कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज -7, विधान सभा के पीछे जयपुर के मध्य हुई वार्ता एवं पहचान वार्ता आरोपी लाखन सिंह पृथक से तैयार कर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। इस समय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री चेतन प्रकाश एवं श्री कालुराम खटीक को बाद कार्यवाही के रूखस्त किया गया। एसीबी परिवादी श्री अफरोज ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्री लाखन सिंह, कर सहायक द्वारा आगे कोई रिश्वत राशि की मांग नही कर कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही किये जाने एवं कोई कार्य पैण्डिग नही होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी जो श्री अफरोज को पढकर सुनाई गयी एवं शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। इस समय एसीबी परिवादी श्री अफरोज को बाद कार्यवाही के रूखस्त किया गया। मूल माईकाे्रे एसडी कार्ड Daichi 32GB शील्ड शुदा मार्क एस डी एवं मूल से तैयार किये गये माईकाे्रे एसडी कार्ड Daichi 32GB क्रमशः एस डी-1(न्यायालय प्रति),एस डी-2,(मालखाना प्रति)एस डी-3 (आरोपी प्रति) शील्ड शुदा को मालखाना में जमा करवाया जाना आवश्यक होने से इस कार्यालय के पत्रांक 812 दिनांक 30.04.2026 से प्रभारी मालखाना के नाम पत्र जारी कर जरिये पत्र वाहक से जमा करवाया जाकर माल जमा प्राप्ति रसीद शामिल ट्रेप कार्यवाही की गयी। अब तक की ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन, फर्द अनुलिपी, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2026 एवं दिनांक 01.05.2026 तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया गया कि एसीबी परिवादी श्री अफरोज बैकरी का कार्य करता है जिसके द्वारा गलती से दो पैन कार्ड नम्बर BNTPA5528C व GAFPA4150N जारी हो गये थे जिससे परिवादी श्री अफरोज के बैंक खातो की कैवाईसी नहीं हो पा रही थी। जिसके सम्बन्ध में एसीबी परिवादी अफरोज ने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2025 को आयकर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर उनके द्वारा परिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र आयकर विभाग वार्ड 7(1) में ट्रासंफर किया गया। एसीबी परिवादी श्री अफरोज ने कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज -7, विधान सभा के पीछे जयपुर में जाकर लाखन सिंह,कर सहायक से सम्पर्क किया जाने पर श्री लाखन सिंह कर सहायक लोकसेवक ने एक पैन कार्ड बन्द करने एवं पुराना वाला पैनकार्ड चालू करने के लिये एसीबी परिवादी को मालवीय नगर बुलाया जाकर 4400/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मालवीय नगर में ही एसीबी परिवादी श्री अफरोज से एसीबी में रिपोर्ट देने से 3-4 दिन पहले ही अनुचित रूप से प्राप्त किये गये। इसके पश्चात एसीबी परिवादी से 1000/-रूपये की और अतिरिक्त रिश्वत राशि की मांग की जाने पर दिनांक 24.04.2026 को एसीबी

परिवादी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उसी दिनांक को रिश्वत राशि का मांग का सत्यापन करवाया जाने के दौरान आरोपी लाखन सिंह,कर सहायक (TA) कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रेंज -7(1), विधान सभा के पीछे जयपुर द्वारा एक लोकसेवक होकर अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री अफरोज का फोन लेकर 1500/-रूपये ट्रांसफर करने की जिद कर,फोन पे करने के लिये कोड पूछने पर परिवादी द्वारा कोड बताये गये लेकिन आरोपी द्वारा अनुचित रूप से 1500/- रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने की जिद की जाने पर परिवादी से नगद राशि मे 600/-रूपये की अनुचित रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त की जाकर परिवादी को उसके लम्बित कार्य के सम्बन्ध में श्री पूरणमल रेगर आईटीओ वार्ड 7(1) जयपुर के हस्ताक्षर से जारी पत्र ITBA/PAN/F/996/2026-27/1088611829(1) दिनांक 23.04.2026 से जारी आदेश परिवादी को सुपुर्द किया गया जिसमे एक पैन कार्ड का उपयोग किये जाने का उल्लेख होना पाया गया। जिससे आरोपी के पास तत्समय परिवादी का कार्य लम्बित होना पाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.04.2026 को एसीबी परिवादी श्री अफरोज एवं संदिग्ध लोकसेवक लाखन सिंह कर सहायक के मध्य आमने सामने हुयी वार्ता के मुख्य अंश निम्नानुसार हैः- परिवादी →अफरोज तो सर आपको दे दिये ना ..... सर मैंने आपको चव्वालिस सो रूपये दे दिये तो वो क्या बोलु मैं आज तो दे जाउंगा अस्पष्ट ..... आरोपी→ लाखन सिंह जोगी अरे तु जोरदार आदमी है तु आज आ रहा था तो लेके क्यों नहीं आया परिवादी→अफरोज अभी नहीं लाया सर लाखन सिंह जोगी → क्यों परिवादी अफरोज→ मैं उस वक्त देने थे आईसक्रिम ना लायो छ सो छ सो रूपया कर दुंगा मैं आपने काम किया चार चव्वालिस सो दियो छो मैं थाने चार छ सो रूपया कर दुं लाखन सिंह जोगी → अब आयो है शांम को थोडी आयेगा (अस्पष्ट .....) परिवादी अफरोज → मैं आ जाउंगा सर मैं (अस्पष्ट .....) शाम लाखन सिंह जोगी→ शाम को बनाने का काम करता हुॅ बीच में टाइम नहीं परिवादी अफरोज→नहीं मैं आ जाउंगा सर (अस्पष्ट....) लाखन सिंह जोगी → नही तु आयेगा तभी मिलेगा फिर आने से कोई फायदा नहीं होगा इसलिए बोल रहा हु परिवादी अफरोज → मैं आ जाउंगा लाखन सिंह जोगी → तु आजा फिर ले जाना हैय शाम को आना पक्का परिवादी अफरोज → छ सो रूपये कर दुंगा लाखन सिंह जोगी →अरे मत कर ये काम तु परिवादी अफरोज→ ना ना (अस्पष्ट .....) लाखन सिंह जोगी →तेरा काम तुरन्त हो जायेगा बस परिवादी अफरोज → आप हो तो बस लाखन सिंह जोगी → जल्दी कर जल्दी कर इतना मत सोचे परिवादी अफरोज → ये केश पडे है मेरे पास छः सो सात सो रूपये पडे है बस लाखन सिंह जोगी → ला हे मुझे अरे इतना की नहीं है कई अब गिनायगो (नोट गिनने की आवाज .....) अस्पष्ट ..... परिवादी अफरोज → अस्पष्ट ..... लाखन सिंह जोगी → कितने बचे ..... चार सो परिवादी अफरोज → हु छ सो लाखन सिंह जोगी → कितने हैं ये परिवादी अफरोज→ छ सो आ गये ना अस्पष्ट ..... लाखन सिंह जोगी→ अरे ये तो बता तु गिले कैसे हो रहे है परिवादी अफरोज→ गिले तो पसीने में गिले ही होगें इस प्रकार आरोपी श्री लाखन सिंह जोगी पुत्र श्री प्रेम राज जोगी,जाति जोगी,उम्र 31 साल, निवासी बदलेटा-खुर्द तहसील- टोडाभीम,जिला करौली राजस्थान हाल कर सहायक (टीए) कार्यालय उपर आयकर आयुक्त रेंज-7(1)पता सी-95 बाबा सिद्वनाथ भवन विधानसभा के पीछे,लालकोठी योजना जयपुर के पास परिवादी श्री अफरोज का कार्य लंबित होने से आरोपी श्री लाखन सिंह कर सहायक एक लोकसेवक होकर परिवादी श्री अफरोज के वैध कार्य के लिये अनुचित रूप से अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये 4400/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर पूर्व में प्राप्त करना एंव परिवादी द्वारा एसीबी में रिपोर्ट देने के पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान 600/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गयी। इस प्रकार आरोपी श्री लाखन सिंह जोगी पुत्र श्री प्रेम राज जोगी,जाति जोगी,उम्र 31 साल, निवासी बदलेटा-खुर्द तहसील- टोडाभीम,जिला करौली राजस्थान हाल कर सहायक (टीए) कार्यालय उपर आयकर आयुक्त रेंज-7(1)पता सी-95 बाबा सिद्वनाथ भवन विधानसभा के पीछे, लालकोठी योजना जयपुर द्वारा परिवादी श्री अफरोज से कुल 5000/- रूपये की रिश्वत राशि अनुचित रूप से प्राप्त किया जाने का कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्व उपरोक्त धारा में विस्तृत अनुसंधान हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है। (अर्चना मीणा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-1 जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-1 जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लाखन सिंह जोगी पुत्र प्रेमराज जोगी जाति जोगी उम्र 31 साल ग्राम बदलेरा खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान हाल कर सहायक कार्यालय अपर आयकर आयुक्त रैंज-7 सी-95 बाबा सिद्वनाथ भवन लालकोठी योजना जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र पंचोली, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयुपर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 210 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 971-74 दिनांक 12.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जयपुर। 2-प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.

यू.-1 जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA PANCHOLI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/06/2026 16:15:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)